कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

उपस्थित:- श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।

प्रार्थी :- सर्वश्री अग्रवाल बूट हाउस ,शिवाजी मार्केट,आगरा।

प्रा0प0सं0:- 309/2008

प्रार्थी की ओर से श्री पंकज कुमार अग्रवाल,अधिवक्ता

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1- प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 11-06-2008 को प्रस्तुत किया गया।प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया है कि फर्म मे पी.वी.सी व अन्य प्रकार के सोल पर अपर इत्यादि लगाकर बनाये गये फूटवियर जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रु 300/- से कम है की खरीद बिक्री का कार्य होता है।वैट अधिनियम 2008 के शिडयूल-1के क्रमॉक 52 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding moulded plastic footwear, hawai chappal and straps there of.

उक्त विज्ञप्ति को ध्यान मे रखते हुए ऐसे फुटवियर जिनमे सोल पर अपर या तो चिपकाया जाता है अथवा सिला जाता है व जिनकी कीमत रु 300/- से कम है पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर आगरा जोन,आगरा से प्राप्त आख्या मे उल्लेख किया गया है कि -

(1)विज्ञप्ति संख्या के.एन.एन.आई-2-1203/एक्स-1-9-(1)/08 यू0पी0एक्ट-5-2008-आर्डर (18)-2008 दिनांक 17-04-08 मे जो भाषा प्रयोग की गई है उसके अनुसार ढले हुए प्लास्टिक के जूते करमुक्त नही है।

(2) व्यापारी जिस प्रकार के जूते बनाते है वह मोल्डेड नही है, उनके पुर्जे ढले हुए है जो जूते का कच्चा माल है।

(3) इसप्रकार के जो जूते बनते है उन पर सोल पर अपर या तो चिपकाया जाता है या सिला जाता है,उसके बाद फीते के लिए आईलेट लगाया जाता है।इसप्रकार तैयार जूता मोल्डेड जूता नही कहा जा सकता।

(4) इसप्रकार के जूतों पर उक्त परिस्थितियों मे 300/- रुपये से कम खुदरा मूल्य के जूते करमुक्त होगें।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को श्री पंकज कुमार अग्रवाल,अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए बताया कि उक्त फर्म में P V C व अन्य प्रकार के सोल पर अपर इत्यादि लगाकर बनाये गये फुटवियर जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 300/-रु से कम है की खरीद,बिक्री का कार्य होता है। उनका फुटवियर मोल्डेड नही होते है। मोल्डेड फुटवियर से आशय केवल ढले हुए फुटवियरो से है जिनमें कि फीतों के लिए आई लिट नही लगे हुए होते है। मोल्डेड फुटवियर का सोल अलग से नही होता है। मोल्डेड फुटवियर प्लास्टिक दाने को सॉचे में ढालकर गलाकर बनाया जाता है। उन फुटवियर मे सोल अलग होता है ,अपर अलग होता है। सोल पर अपर या तो चिपकाया जाता है अथवा सिला जाता है। ऐसे फुटवियर स्कूल शू, केनवास शू, स्पोर्टस शू, अथवा चमड़ें के फुटवियर के रुप मे होते है। अपर चमड़े के ,रेगजीन कें या फोम अथवा कपड़े का होते है। अत: इसप्रकार के फुटवियर जिनका अधिकतम मूल्य 300/- रु से कम है शिडयूल-1 के क्रमाक-52 पर अंकित प्रविष्टि के अनुसार करमुक्त होना चाहिए।

प्रा0प0सं0- 309/2008 सर्वश्री अग्रवाल बूट हाउस ,शिवाजी मार्केट,आगरा ।

4- मैने धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों ,प्राप्त विभागीय आख्या व अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया गया ।

Webster-on line -dictionary में **Mould** को निम्नप्रकार से परिभाषित किया गया है :-

Mould-

Noun : Container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens.

Industry : An assembly of parts containing the space in which the moulding material hardens and takes its form.

उक्त से स्पष्ट है कि Moulded Plastic Footwear का आशय ऐसें Plastic Footwear से है जो Plastic granules सें Mould करके तैयार किये गये है। अत: ऐसे Footwear जिनमें अपर अलग होता है व सोल अलग होता है व दोनो को पेस्ट करके अथवा सिलकर तैयार किया गया हो Moulded Footwear की श्रेणी मे नही आयेगा । यदि उनका फुटकर मूल्य (M R P)रू0 300/- से कम है तो वह शिडयूल-1 के क्रमॉक 52 पर अंकित प्रविष्टि के अर्न्तगत आयेगें ।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक:: सितम्बर 2, 2008

ह0-2-9-2008

(दीपक कुमार)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।